



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67817

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10729 सन् 2026

अज़हरुद्दीन

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- अभिषेक श्रीवास्तव, अमित कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री देवेंद्र गुप्ता, अधिवक्ता, द्वारा प्रथम सूचनादाता की ओर से आज दाखिल वकालतनामा, अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री अभिषेक श्रीवास्तव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री देवेंद्र गुप्ता, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता, श्री भूपेंद्र पाल सिंह, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह तात्कालिक जमानत प्रार्थना पत्र, विचारण के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 375 सन् 2025, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना नौगावाँ सादात, जनपद अमरोहा, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में मिथ्यारूप से फँसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोप के अनुसार, मृतक आवेदक की पत्नी होने का कथन किया गया है और आवेदक का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसका मृतक ने विरोध किया था, और इस कारण उनके बीच विवाद होता था; मृतक ने वैवाहिक घर भी छोड़ दिया और अपने मायके चली गई, और तत्पश्चात् आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्य मृतक के मायके गए और उसे इस आश्वासन के साथ वैवाहिक घर ले गए कि उसे सम्मान और आदर के साथ रखा जाएगा। तत्पश्चात् मृतक दिनांक 15.08.2025 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वैवाहिक घर वापस आई। मृतक की मृत्यु की सूचना मृतक के परिवार के सदस्यों को दिनांक 02.09.2025 को मिली। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचनादाता एवं मृतक के अन्य परिवार के सदस्य मृतक को अपने घर ले गए और अंतिम संस्कार के समय भी उन्होंने मृतक के शरीर पर कुछ चोटें पाई, परंतु उसे दिनांक 03.09.2025 को दफना दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08.09.2025 को मृतक की माँ द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया; तत्पश्चात् मृतक के शव को निकाला गया और दिनांक 16.10.2025 को शव-परीक्षण कराया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक के शव-परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया और मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोट के रूप में अभिमत किया गया।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में मिथ्यारूप से घसीटा गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक को दिनांक 02.09.2025 को बुखार और उल्टी की शिकायत के साथ अपेक्स नर्सिंग होम, नौगावाँ, में भर्ती कराया गया था, तत्पश्चात् उसे सरकारी अस्पताल, अमरोहा, रेफर किया गया, जहाँ डॉ. गौरव सिंह ने उसका उपचार किया और अंततः दिनांक 02.09.2025 को उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि डॉ. गौरव सिंह के कथन से भी यह तथ्य भली-भाँति प्रमाणित होता है कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। आवेदक को वर्तमान मामले में केवल मृतक का पति होने के कारण मिथ्यारूप से फँसाया गया है, और केवल प्रथम सूचनादाता एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धन उगाही के लिए, यद्यपि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधवर्धक सामग्री नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 04.02.2026 से कारागार में है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता तथा प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु उपर्युक्त तथ्य को विवादित नहीं कर सके।

7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रखते हुए एवं कारागारों की अतिभीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, एवं सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 के वाद में दिए गए निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी यह राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक - अज़हरुद्दीन, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:
- i. आवेदक, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत न किया जा सके, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
 - ii. आवेदक विचारण/अन्वेषण में कोई स्थगन न चाहते हुए ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।
 - iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास-प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति, जो संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के वचनबंध के साथ सत्यापित हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, के आधार पर रिहा किया जाएगा।



12. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु रिहाई आदेश, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (BOMS) के माध्यम से संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के जमानत प्रदान करने की नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 सन् 2021 में दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत एवं (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित, आदेश के अनुपालन में, संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित करे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

सी.एस./